मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर – 462 016

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2005

क्रमांक –3050/मप्रविनिआ/2005. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 57 (1) तथा मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2000 की धारा 35 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा क्रमांक 2320 दिनांक 26 सितम्बर, 2005 द्वारा अधिसूचित वितरण अनुपालन मानदण्ड, 2004 (प्रथम संशोधन, 2005) में निम्न परिवर्धन करता है :

वितरण अनुपालन मानदण्ड विनियम, 2004 (प्रथम संशोधन, 2005) में परिवर्धन/संशोधन

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :

(i) ये विनियम **''वितरण अनुपालन मानदण्ड विनियम, 2004'' (पुनरीक्षण प्रथम, 2005) (प्रथम संशोधन) (क्रमांक ए [आर जी–8 (I)] (i), वर्ष 2005 कहें जायेंगे ।**

(ii) ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे ।

(iii) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा ।

वितरण अनुपालन मानदण्ड विनियम, 2004 (पुनरीक्षण प्रथम, 2005) जिसे इसके आगे प्रमुख विनियम कहा जावेगा, अनुच्छेद 14.3 के उपरांत निम्न अनुच्छेद 14.3 (अ) जोड़ा जावे, अर्थात :

14.3 (अ) उपभोक्ता अधिकार–पत्र (चार्टर) :

''प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी (माने गये अनुज्ञप्तिधारी को सम्मिलित कर) आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार इस विनियम के परिशिष्ट–8 के रूप में उपभोक्ताओं हेतु सामान्य रूप से सर्वसाधारण हेतु उनके सूचना के अधिकार हेतु, अनुज्ञप्तिधारी की कार्यप्रणाली बाबत् अनुज्ञप्तिधारी के कतिपय कर्त्तव्य संबंधी अनुपालन के मानदण्डों हेतु अथवा अन्यथा उपभोक्ताओं के विद्युत प्रदाय तथा अनुज्ञप्तिधारियों के कर्त्तव्य के संबंध में उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय में कोई विलंब किये जाने पर अथवा चूक किये जाते हुए पाये जाने पर क्षतिपूर्ति भुगतान किये जाने बावत् एक उपभोक्ता अधिकार–पत्र (चार्टर) तैयार करेगा । वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता अधिकार पत्र में वांछित अनुसार प्रत्येक त्रैमास में जानकारी को अद्यतन करना होगा तथा उसे इन्हें संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों के समस्त कार्यालयों के सूचना–पटल पर प्रदर्शित किये जाने की व्यवस्था करना होगा व उसके द्वारा समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन वर्ष में कम से कम दो बार किया जाना भी आवश्यक होगा ।''

प्रमुख विनियम के अनुच्छेद 11.4 को निम्न दर्शाये पैरा अनुसार प्रतिस्थापित किया जावे :

''किसी भी कारण से देयक त्रुटियों में बारंबारता तथा उनकी पुनरावृत्ति होने पर तथा उन्हें सम्मिलित कर जो आंकड़े के त्रुटिपूर्ण अभिलेखन (पंचिग) के कारण, मापयंत्र (मीटर) के त्रुटिपूर्ण पाठन अथवा उपभोक्ता देयक को तैयार करने में साफ्टवेयर में कोई त्रुटि उसके अपर्याप्त होने के कारण अथवा किये गये भुगतान को विकलित न किये जाने के कारणों से निरोपित की गई हो जिसके कारण उपभोक्ता को परिहार्य असुविधा हुई हो, को उपेक्षापूर्ण कृत्य समझा जावेगा । अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उन देयकों का प्रतिशत जिनमें उपभोक्ता शिकायतों के कारण संशोधित किया जाना हो, उक्त अवधि में न्यूनतम रखेगा तथा जारी किये गये 1000 संख्या के देयकों में एक से अधिक त्रुटि न पाई जाना देयक अवधि के अन्तर्गत सुनिश्चित करेगा । अनुज्ञप्तिधारी को इस संबंध में वृत्तवार त्रैमासिक जानकारी आयोग को परिशिष्ट–3 (पुनरीक्षित) में प्रस्तुत करना होगी ।

यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त उपभोक्ता को बारंबार त्रुटिपूर्ण देयक दिया जाना वित्तीय वर्ष में एक से अधिक बार किया जावेगा तो ऐसी दशा में उसे सही की गई राशि पर छूट दिये जाने की पात्रता होगी जो प्रथम बार ऐसे अवसर पर शुद्ध की गई देयक राशि का 0.2 प्रतिशत तथा रू. 10/– की न्यूनतम राशि के अध्यधीन होगी तथा उसके द्वारा उपभोक्ता देयक में ऐसी किसी त्रुटि की पुनरावृत्ति वर्ष में दो से अधिक बार किये जाने पर उपभोक्ता को देय छूट बढ़ाकर 0.5 प्रतिशत की दर से रू. 20/– की न्यूनतम राशि के अध्यधीन होगी ।

प्रमुख विनियम में, अनुच्छेद 8.3 (द) के बाद, निम्न उप–अनुच्छेद (ई) अर्न्तस्थापित किया जावे :

''(ई) अनुज्ञप्तिधारी समस्त संभागायुक्त मुख्यालयों, शहरों तथा निगमों, जिला मुख्यालय स्तर स्थित नगरों तथा प्रमुख औद्योगिक विकास केन्द्रों की प्रणाली विश्वसनीयता सूचकांकों की गणना करेगा तथा प्रथम चरण में दिनांक 31 अक्टूबर, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु इन्हें प्रस्तुत करेगा । द्वितीय चरण में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 तक प्रत्येक जिले के न्यूनतम दो विभिन्न 33/11 केवी उपकेन्द्रों हेतु जो ग्रामीण फीडर बाहुल्य क्षेत्र से संबंद्ध हों, के विश्वसनीयता सूचकांक, जो ग्रामीण क्षेत्रों के विश्वसनीयता सूचकांकों का प्रतिनिधित्व करेंगे, प्रस्तुत किये जावेंगे । तृतीय चरण में, 11 केवी फीडरों संबंधी विश्वसनीयता सूचकांक जो प्रमुख रूप से न्यूनतम समस्त तहसील मुख्यालयों पर स्थित एक 33/11 केवी उपकेन्द्र का विश्वसनीयता सूचकांक होगा, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिनांक 15 मार्च 2006 तक प्रस्तुत किया जावेगा।

प्रमुख विनियम के अनुच्छेद 15.8 की अनुसूची 'अ' के सरल क्रमांक (viii) में निम्न पंक्ति को विलोपित किया जावे :

सेवा क्षेत्र	मानदण्ड (विस्तृत विवरण हेतु संबंद्ध अध्याय में भी देखें)	प्रभावित उपभोक्ता को देय क्षतिपूर्ति
निरंतर दो मापयंत्र वाचन चक्र के उपरांत देयक या तो त्रुटिपूर्ण हों या औसत पर आधारित हों (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जहां अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मापयंत्र को पहुचविहीन पाया गया हो तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता में विनिर्दिष्ट कदम उठा लिये गये हों)	लागू नहीं	देरी होने पर रू. 50/– प्रति त्रुटि माह (अथवा उसका भाग) तथा कुल राशि मासिक देयक के 10 प्रतिशत से अनाधिक अथवा रू. 100/– जो भी कम हो से अधिक न होगी ।

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, (उप सचिव)